

**डॉ० उर्मिला ठाकुर, माननीया स०वि०प० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-
1/213/574 का उत्तर प्रतिवेदन**

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिला के लगभग आधे प्रखंडों से गंगा नदी गुजरती है जिसमें बलिया, साहेबपुर कमाल, मटिहानी, शाम्हों, बरौनी, तेघरा और बछवाड़ा शामिल हैं, इन क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों का हर साल बाढ़ और कटाव से खेती बर्बाद और पशुपालन समाप्त हो जाने से बेरोजगारी बढ़ रही है; (ख) क्या यह सही है कि विगत वित्तीय वर्ष में भवानंदपुर के शिवनगर, टिटहियाँ टोला और भवानंदपुर गांव के समीप लगभग 32 करोड़ रूपये की लागत से कटाव निरोधक कार्य कराये गये लेकिन बाढ़ के दौरान करीब 500 मीटर का कार्य नदी में बह गया है; (ग) क्या यह सही है कि वर्ष 1990 में भी गंगा कटाव से लालदियारा, कस्बा, हुसैना, सोनवर्षा, मिर्जापुर, हसनपुर, किसनपुर, कमालपुर, सोनदीपी, परमानंदपुर, पहाड़पुर, नौरंगा, अशर्फा, सहबेकपुर, शैयदपुर, गोखले नगर और भवानंदपुर जैसे गांवों के परिवार बिखर गये हैं, जो दियारा छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में बस गये हैं; (घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड-‘क’ , ‘ख’ , ‘ग’ पर अंकित स्थिति में बाढ़ और कटाव के खतरे से निपटने के लिए दियारा क्षेत्र को दीर्घकालिक योजना भारत सरकार, राज्य सरकार और नेपाल सरकार द्वारा तीनों मिलकर किस परिस्थिति में अबतक नहीं बनाई है तथा उसे कबतक बनाना चाहती है?	वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत प्रश्नगत प्रखंड नदी पर अवस्थित तटबंध के दोनों तरफ हैं। बाढ़ अवधि में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने एवं बाढ़ अवधि के उपरान्त जलस्तर घटने के क्रम में नदी तट एवं दियारा क्षेत्र में कहीं-कहीं कटाव होता है। बाढ़ 2024 एवं 2025 पूर्व शिवनगर, टिटहिया टोला एवं भवानंदपुर में कुल 1600 मीटर की लम्बाई में कटाव निरोधक कार्य कराया गया, जिसमें से 250 मीटर की लम्बाई में शिवनगर में कराया गया कार्य आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ। इस भाग में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। प्रश्नगत गांव तटबंध से लगभग 7-8 कि०मी० नदी भाग के दियारा क्षेत्र में अवस्थित है। प्रश्नगत गांव के परिवारों के विस्थापन के संबंध में कोई सूचना नहीं है। बिहार राज्य अंतर्गत गंगा नदी के बाढ़ एवं कटाव के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से विस्तृत अध्ययन हेतु राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के साथ एम० ओ० यू० किया गया है। इस अध्ययन के उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में गंगा नदी से होने वाले कटाव को नियंत्रित करने हेतु आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर कार्य कराया जायेगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(सम0)-06-29/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 213वें सत्र से प्राप्त ताराकित प्रश्न सं0-01/213/574 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(सम0)-06-29/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(सम0)-06-29/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0प0प्र0(सम0)-06-29/2026-

4014

पटना, दिनांक- 09/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनिल कुमार गुप्ता

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
08.9.26